



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181205

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8204 वर्ष 2026

गिरीश कुमार सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : रमा शंकर मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का भी परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0083 सन् 2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 338(3), 340(2) बी.एन.एस., थाना घूरपुर, जनपद प्रयागराज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक की पत्नी और सूचनादाता के मध्य परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एक विवाद लंबित है। यह आरोप लगाया गया है कि एक चेक में कूटरचना करके 8 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया गया और तत्पश्चात सह-अभियुक्त चंद्रभान सिंह उर्फ डॉक्टर के माध्यम से सूचनादाता को दिया गया। उक्त डिमांड ड्राफ्ट संबंधित बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तत्पश्चात उसे वापस कर दिया गया। सूचनादाता का आरोप है कि दिनांक 27.12.2024 को जब वह बैंक गया और बैंक प्रबंधक से पूछताछ की, तो उसे बताया गया कि संबंधित डिमांड ड्राफ्ट वास्तव में एक चेक था, जिस पर सूचनादाता का नाम, राशि तथा डिमांड ड्राफ्ट संख्या कंप्यूटर का उपयोग करके मुद्रित की गई थी और उक्त डिमांड ड्राफ्ट/चेक एक कूटरचित दस्तावेज है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ने सूचनादाता को ऐसा कोई डिमांड ड्राफ्ट/चेक कभी नहीं दिया था। दिनांक 27.01.2026 के आवेदन के आधार पर दिनांक 02.03.2026 को अत्यधिक विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक जांच में सहयोग करेगा, फरार नहीं होगा और उचित प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।



6. दिनांक 27.01.2026 के आवेदन के आधार पर दिनांक 02.03.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए अत्यधिक विलंब का कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पक्षकारों के मध्य परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत विवाद लंबित है। आवेदक ने तर्क दिया है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष कोई समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए विवादित राशि का चेक/डिमांड ड्राफ्ट दिए जाने का कोई अवसर ही नहीं था। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. आवेदक - **गिरीश कुमार सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करे और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

ए. पांडेय